फर्जी जीएसटी अफसर ने सीबीआई कोर्ट में किया आत्मसमर्पण

हरिभूमि न्यूज ▶▶| रायपुर

- एक जीएसटी अधिकारी को सीबीआई ने जनवरी में रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था
- जीएसटी अफसर के साथ एक अन्य के शामिल होने की सीबीआई को मिली थी जानकारी

दुर्ग के कारोबारी से जीएसटी सेटलमेंट के नाम से रिश्वत लेने के आरोप में पूर्व में गिरफ्तार सेंट्रल जीएसटी सुपरिंटेंडेंट भरत सिंह के एक साथी ने गुरुवार को सीबीआई कोर्ट में सरेंडर किया है। सेंट्रल जीएसटी अफसर के जिस साथी ने कोर्ट में सरेंडर किया है, वह सुपरिंटेंडेंट भरत सिंह तथा विनय राय के साथ कारोबारी के यहां वसूली करने गया था। फर्जी अफसर का सेंट्रल जीएसटी के अफसरों ने मिश्रा के नाम से परिचय कराया था।

कोर्ट में सरेंडर करने वाले फर्जी अफसर का नाम अनिल गुप्ता है। सरेंडर करने की जानकारी मिलने के बाद सीबीआई अफसर अनिल गुप्ता से पूछताछ करने कोर्ट में अर्जी दाखिल की। कोर्ट ने अनिल गुप्ता से पूछताछ करने 14 जुलाई तक की रिमांड स्वीकृत की है। उल्लेखनीय है कि दुर्ग के कारोबारी लालचंद अठवानी की कंपनी द वर्ल्ड ऑफ ब्यूटी से जुड़ा है। 28 जनवरी को सेंट्रल जीएसटी की टीम ने कंपनी पर छापा मारा था और दस्तावेज जब्त किए। इनमें अनियमितताएं पाए जाने पर रायपुर में पदस्थ जीएसटी अधीक्षक भरत सिंह ने इस केस को निपटाने' के लिए 34 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी।

सीबीआई के अफसर अनिल गुप्ता से पूछताछ कर पता लगाने की कोशिश करेंगे कि उसका जीएसटी अफसरों के साथ किस तरह से संबंध थे और उसने अफसरों के साथ मिलकर और कहां-कहां वसूली की है।